IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्र0 एफ.4(27)घुमन्तु/विधि/पंरा/2024/ जयपुर, दिनांकः

1. ज़िला कलेक्टर,
   समस्त (राजस्थान)
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)।

विषय :– विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड/पट्टा आवंटन अभियान बाबत।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि चरागाह भूमि पर लम्बे समय से बसे विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय के व्यक्तियों/परिवारों को इस अभियान के तहत उसी भूमि पर पट्टा आवंटित किये जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस सदंर्भ में लेख है कि राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 27.12.2021 को चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी का नियमितिकरण हेतु पॉलिसी जारी की हुई है। इस पत्र के साथ उक्त पॉलिसी एवं राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश दिनांक 25.4.2023 एवं 3.10.2023 तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम–7 के अनुक्रम में अनुरोध है कि इनके क्रम में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ0 जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

RajKaj Ref
10713536

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2024.09.24 23:01:01 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक– प. 2(17)राज–3/2021/151 जयपुर, दिनांक–27.12.2021

चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी का नियमितिकरण हेतु पॉलिसी

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(28) में चारागाह भूमि को परिभाषित किया गया है। जो इस प्रकार है:–

"चारागाह भूमि से वह भूमि अभिप्रेत है जो गांव या गांवो के पशुओं को चराने के उपयोग में लायी जाती है या जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय से इस रूप में बंदोबस्त अभिलेखों में अभिलिखित है या राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार बाद में इस रूप में आरक्षित की जाये।"

चरागाह भूमि शामलाती भूमि होती है जिसका प्रबन्धन ग्राम पंचायत का होता है। यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। संक्षिप्त में चारागाह भूमि को सीधे ही किसी अन्य प्रयोजन के लिये आवंटन नही किया जा सकता है। यदि चारागाह भूमि का कृषि या किसी अकृषि प्रयोजन के लिये आवंटन अपेक्षित हो तो भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन किया जाकर सिवायचक दर्ज किये जाने के उपरांत ही आवंटन किया जा सकता है। इस संबंध में प्रकिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में प्रावधित है।

चरागाह भूमि शामलाती भूमि होने से इसके संरक्षण एवं अवैध कब्जेधारियों से मुक्त रखे जाने के लिये समय–समय पर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में आवश्यक निर्देश प्रदान किये जाते रहे है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1132/2011 एस.एल.पी.(सी) संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.1.2011 व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका (पी.आई.एल.) संख्या 1554/04 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 एवं 08.08.2017 मुख्य है। उक्त प्रकरणों में पारित निर्णयों के परिपेक्ष्य में महाधिवक्ता महोदय से चारागाह भूमि पर बसी आबादी को नियमित किये जाने पर विचार किये जाने से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओ पर राय प्राप्त की गई:–

1. चारागाह भूमि जिन पर लम्बे समय से अतिक्रमण कर पक्के या कच्चे आवासो का निर्माण कर लिया गया है तथा उसे आवासीय प्रयोजन से कार्य में लिया जा रहा है, का वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक भूमि में परिवर्तन किया जा सकता है अथवा नहीं।
2. साथ ही कतिपय ग्रामों में चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु सिवायचक भूमि उपलब्ध नहीं है उक्त स्थिति में चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जा सकती है।

महाधिवक्ता से प्राप्त राय के परिपेक्ष्य में चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी को बेदखल किये जाने के स्थान पर नियमितिकरण किये जाने की पॉलिसी का अनुमोदन मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 157/2021 दिनांक 20.12.2021 द्वारा किया गया है। अतः मंत्रिमण्डल की आज्ञा के परिपेक्ष्य में चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी को नियमित किये जाने के लिये निम्नाकिंत प्रकिया निर्धारित की जाती है:–

1. चारागाह भूमि पर दिनांक 01.01.2021 तक जो व्यक्ति कम से कम 35 वर्ष पूर्व से आवास गृह बनाकर निवास कर रहे है उन अतिक्रमणों को तहसीलदार द्वारा चिन्हित कर सूची तैयार की–

P.T.O.

जायेगी। इस सूची में ऐसी चिन्हित भूमि का खसरा नं0 एवं अतिकमित कर निर्मित आवास गृहो का क्षेत्रफल एवं नजरी नक्शे की प्रति जिसमें आवागमन हेतु रास्ते दर्शाये गये है, का समावेश होगा।

2. दिनांक 01.01.2021 से पूर्व चारागाह भूमि पर निर्मित आवास गृह की सूची तैयार करते समय राशनकार्ड, मतदाता सूची, बिजली/पानी/टेलिफोन बिल इत्यादि में से कोई एक दस्तावेज अवश्य संलग्न कराये जाये, जिससे कि यह विदित हो सके कि परिवार दिनांक 01.01.1986 से पूर्व से निवास कर रहा है।
3. उक्त तैयार की गई सूची को तहसीलदार द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित किया जायेगा।
4. ऐसी प्राप्त सूचनाओं को जिला कलक्टर संकलित करेगें तथा उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग मे ली गई चारागाह की क्षतिपूर्ति यथा संभव एक ही स्थान पर सिवायचक भूमि से की जायेगी।
5. इस कार्यवाही के लिये जिला कलक्टर सम्पूर्ण जिले में चारागाह भूमि को चिन्हित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेगें कि 100 वर्षो के लिये चारागाह भूमि उपलब्ध रहे।
6. जिला कलक्टर अतिकमित चारागाह भूमि जो आवासीय प्रयोजनार्थ कार्य में ली गई है, को सिवायचक में परिवर्तन राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 अनुसार केवल एक ही बार वर्गीकरण परिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।
7. यदि ग्राम पंचायत में सिवायचक भूमि उपलब्ध है तो चारागाह भूमि के समतुल्य सिवायचक भूमि चारागाह के रूप में आरक्षित करेगे। जिला कलक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित होगा कि किसी भी सूरत में जिले में कही भी चारागाह भूमि का क्षेत्रफल इस संबंध में निर्धारित मानको से कम नही हो पाये।
8. जिला कलक्टर चारागाह भूमि वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवायचक भूमि को सेट अपार्ट कर पंचायत के आवंटन करते समय संबंधित ग्राम पंचायत को पाबंद करेगे कि वह एक परिवार को अधिकतम 100 वर्गमीटर से अधिक भूमि का पट्टा नहीं दिया जाये।
9. केवल ऐसे व्यक्ति जो आयकर दाता नही है इस पालिसी के तहत पटटा प्राप्त करने के पात्र होंगें।
10. जिला कलक्टर चारागाह भूमि पर अतिकमण कर बसे लोगों को नियमित इस शर्त के अध्यधीन करेंगे कि इस प्रकार नियमित किये गये आवास/भूमि को आगे स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा एवं यदि ऐसा स्थानान्तरण किया जाता है तो भूमि राज्य सरकार में स्वतः निहित हो जायेगी।
11. जिला कलक्टर संबंधित ग्राम पंचायत को यह भी निर्देश देगे कि ग्राम पंचायत द्वारा ऐसे किसी परिवार के पक्ष में पट्टा नहीं दिया जाये यदि उस ग्राम पंचायत में उस परिवार के पास पूर्व में ही आवासीय मकान है।

आज्ञा से,

27/12/2021

(रामचरन शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।

P.T.O.

3. निजी सचिव, महाधिवक्ता महोदय, राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. विशिष्ठ सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय।
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
12. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
13. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 27/12/2021 प्रकाशन हेतु।
14. राविरा राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
15. रक्षित पत्रावली।

27/12/2021
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-7) विभाग

क्रमांकः-प.3(28)राज-7/2022 जयपुर, दिनांकः- 25-4-23

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान सरकार।

विषयः-डी.बी.सि.रि.या.सं. 326/2022 श्री राजस्थान गौ-सेवा समिति बनाम राजस्थान सरकार (ईकजाई डी.बी.सि.रि.या.सं.422/2022 श्री युरभि गौ अभ्यारण समिति बनाम राजस्थान सरकार) समक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अनुक्रम में चारागाह पॉलिसी बाबत आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 18.04.2023 को प्रत्याहरित करते हुए लेख है कि चारागाह भूमि पर अतिक्रमण कर बसी सघन आबादी को सशर्त नियमितिकरण किये जाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा मंत्रिमण्डल के अनुमोदन उपरांत क्रमांक प. 2(17)राज-3/2021/151 दिनांक 27.12.2021 को चारागाह पॉलिसी जारी की गई, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष डी.बी.सि.रि.या.सं. 326/2022 श्री राजस्थान गौ-सेवा समिति बनाम राजस्थान सरकार के माध्यम से चुनौती दी गई है।

उक्त रिट याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 15.03.22 में जारी स्थगन आदेश को संशोधित कर आदेश दिनांक 28.04.22 द्वारा राजस्व नियमों की कठोरता पूर्वक पालना करते हुये चारागाह भूमि के नियमितिकरण को अनुमत किया गया है। वर्तमान में रिट याचिका विचाराधीन है। इस संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल से विधिक राय प्राप्त की गई। श्री बेनीवाल द्वारा प्रदत विधिक राय दिनांक 22.02.2023 के अनुसारः-

"That since the Hon'ble Court while modifying the Interim Order has permitted to allow pasture land as per rules and now the regularisation for Aabadi as per policy is part of Rule 7 of the Rules of 1955, the regularization on Gochar Land may be made subject to strict adherence to the Rules of 1955 and if the concerned fulfils all the conditions as provided in the aforementioned Policy."

अतः अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा प्रदत विधिक राय के दृष्टिगत आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि चारागाह पॉलिसी 27.12.2021 में उल्लेखित शर्तो एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 में विहित प्रकिया की कठोरता से पालना सुनिश्चित कराते हुये चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी को उपरोक्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त के अध्यधीन नियमितिकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(अपर्णा अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1 प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग को प्रेषित कर लेख है कि चारागाह नीति दिनांक 27.12.2021 के तहत नियमित की गई भूमि पर नियमानुसार प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान पट्टे जारी कराने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें।
2 उप सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, सचिवालय जयपुर।
3 महाधिवक्ता, राजस्थान।
4 अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
5 विशिष्ट/संयुक्त/उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1, 3, 6, 9/उपनिवेशन) विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि चारागाह नीति दिनांक 27.12.2021 के तहत नियमित की गई भूमि पर नियमानुसार प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान पट्टे जारी कराने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

07662

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–7)विभाग

कमांकःप.3(28)राज–7/2022

जयपुर, दिनांकः 03-10-2023

समस्त जिला कलक्टर्स,
राजस्थान सरकार।

विषयः डी.बी.सि.रि.या.सं. 326/2022 श्री राजस्थान गौ–सेवा समिति बनाम राजस्थान सरकार (इकजाई डी.बी.सि.रि.या.सं. 422/2022 श्री सुरभि गो अभ्यारण्य समिति बनाम राजस्थान सरकार) एवं एस.बी.सि.रि.या.सं. 7333/2023 समक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पारित आदेश के अनुकम में चारागाह पॉलिसी बाबत आवश्यक दिशा–निर्देश।

संदर्भः विभागीय समसंख्यक पत्रादेश दिनांक 25–04–2023 (मूल आदेश दिनांक 18–04–2023 को प्रत्याहरित कर) के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि एस.बी.सि.रि.या.सं. 7333/2023 श्री सुरभि गौ अभ्यारण्य समिति बीकानेर बनाम राजस्थान सरकार समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2023 की अनुपालना में समसंख्यक विभागीय पत्रादेश दिनांक 10–07–2023 द्वारा चारागाह भूमि, पर अतिक्रमण को नियमित करने की किसी भी प्रकार की कार्यवाही अग्रिम आदेश तक नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 12–09–2023 को एस.बी.सि. रि.या.सं. 7333/2023 को Dismiss किया जा चुका है। इस संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुनील बेनीवाल से प्राप्त विधिक राय **"In such circumstances, the State can implement the policy as per rules and as per the liberty eallier granted by the Hon'ble Divisional Bench in the PIL Surbhi Vs State."** के दृष्टिगत आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि चारागाह पॉलिसी 27–12–2021 में उल्लिखित शर्तों एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 में विहित प्रकिया की कठोरता से पालना सुनिश्चित करते हुए चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी को उपरोक्त रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त के अध्यधीन नियमितिकरण हेतु अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(अपर्णा अरोरा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग को प्रेषित कर लेख है कि चारागाह नीति दिनांक 27–12–2021 के तहत नियमित की गई भूमि पर नियमानुसार पट्टे जारी कराने की कार्यवाही कराने का श्रम करावें।
2. संयुक्त सचिव, कार्यालय मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. महाधिवक्ता राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1, 3, 6, 9/उपनिवेशन) विभाग, सचिवालय, जयपुर ।

शासन उप सचिव

Rule-7

7. Allotment or setting apart of pasture land. - (1) The Collector may, in consultation with the Panchayat, after obtaining prior permission of the State Government, change the classification of any pasture land, as defined in sub-section (28) of Section 5 of the Act or any pasture land set-apart under Section 92 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956), as unoccupied culturable Government land (Sawai Chak), for allotment for agricultural or any non-agricultural purposes: -

Provided the prior permission of the State Government is not required for change of classification of pasture land where such land is proposed to allot for the purpose of the Government office or other Government building or Shamshan or kabristhan or aabadi as per the policy issued by tha State Government or National Highways or State Highways or Major District Road or Any Important Public Road;

Provided further that the classification of pasture land shall not be changed as unoccupied culturable government land (Sawai Chak) for mining purposes without the prior permission of the State Government. The permission by the State Government shall be granted only if applicant has surrendered equal area of khatedari land in favour of the State Government in the same village or nearby village within the same Panchayat, if applicant is not able to surrender khatedari land in the same village or nearby village within the same Panchayat, the equal area of khatedari land may be surrendered in the nearby village of adjoining Panchayat and if the land is not available even in the adjoining Panchayat for such purpose, it may be surrendered, in exceptional cases from the other Panchayat of the District and has deposited development charges for the development of such surrendered land as pasture land. The development charges for the year 2017-2018 shall be rupees fifty thousand per bigha or part thereof and for subsequent year it shall be increased by five percent every year. The Development charges so deposited may also be used for the welfare of the cattle of the village by the village Panchayat with prior approval of the District Collector. The land so classified as unoccupied culturable government land (Sawai Chak) shall always remain and treated as government land for all purposes;

Provided also that any such land, falling within the boundary limits of the Jaipur Region as defined in the Jaipur Development Authority Act, 1982 (Act No. 25 of 1982) or within the periphery of 2 kms. of a municipality, shall not be allotted except for the purpose of a public utility institution or for expansion of abadi.

(2) Where classification of any pasture land is changed under sub-rule (1), the Collector may set-apart an equal area of unoccupied culturable Government land, if available, as pasture land in the same village or nearby village within the same Panchayat:

Provided that where land is required for infrastructure projects viz air strip, irrigation schemes, water supply schemes, government buildings, government offices, shamshans, kabristans, gaushalas, rehabilitation purposes, industrial development, authorities/companies setup by the State government, krishi upaj mandis, Rajasthan State warehousing corporation, National highways, State highways, major district roads and for laying railway lines or any other Important Public Roads and unoccupied culturable government land is not available in the same village or nearby village within the same Panchayat and the necessity is absolute necessity and absence of alternative means is proved, the equal area of unoccupied culturable land may be set apart in the nearby village of adjoining Panchayat. If land is not available in the adjoining Panchayat for such purpose, it may be set apart, in exceptional cases, from the other Panchayat of the District with the prior approval of the State Government.